यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

न0:– 74 /2023 तारीखरजू:– 26/7/23

उनवान:– दशरथ बनाम जगपाल वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

नांक	फर्द अहकाम	
26/7/23	प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 07.08.2023 को पेश हो। (गौरव कुमार मित्तल) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	3195-98 26/7/23
7/8/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी न० 1,2 की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा ए़ड० ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। एंव अप्रार्थी न० 3 4 पैरोकार सरकार उपस्थित। P0 साहब स्थानान्तरण अधीन है वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 25.8.23 को पेश हो।	
25.8.23	वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी...जि.म.फु...चुनाव मीटिंग मे पच्चीस है। पत्रावली गतानुसार दिनांक...19-9-23 को पेश हो।	
19.9.23	अवकाश होने के कारण	
20.9.23	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठासन अधिकारी...भ्रमण पर पच्चीस है। गतानुसार दिनांक...31.10.23 को पेश हो।	
31/10/23	वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी...चुनाव कार्य मे व्यस्त है पत्रावली गतानुसार दिनांक...1-1-24 को पेश हो।	
1.1.24	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनाक...9.1.24... को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:03:00 IST
Reason: SelfAttested

यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

मु0न0:– 74/2023

उनवानः– दशरथ बनाम जगपाल वगै0

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष वकील उपस्थित, सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि, वर्णित आराजीयात मे सायल व गैरसायल न0 1 व 2 को विरासत मे मिली है, पूर्व मे उक्त सम्पूर्ण आराजी की खातेदारी बुजुर्गो के नाम रही है वर्तमान मे सायल व गैरसायल न0 1 व 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है। सम्पूर्ण आराजी को लट्ठ के बल पर सायल को बेदखल कर बेचान करने पर आमदा है गैरसायलान मॉ के हिस्से की आराजी को बेचान करने पर आमदा है। प्राईमाफेसी केस सायल के पक्ष मे है सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को पाबन्द फरमाय जावे कि वर्णित आराजीयात का विक्रय नही करे। रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

गैरसायल वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात के अलावा भी सायल एवं गैरसायल न0 1 व 2 की सयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी भी है, जिनको वादपत्र मे जनबूझकर सायल द्वारा दर्ज नही किया है। सायल व दीगर खातेदारान ने माननीय न्यायालय मे पूर्व मे दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 05.07.2021 को पेश कर रखा है, जिसके डिफेन्स मे सायल द्वारा यह दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सायल वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम खिलचीपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता न0 33 मे कुल किता 4 कुल रकवा 1.67 है0, मे सायल व गैरसायलान न0 1 व 2 तथा नांगलशेरपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता न0 156 मे कुल किता 1 कुल रकवा 0.42 है0 मे सायल व गैरसायलान न0 1 व 2, खाता न0 155 मे कुल किता 8 कुल रकवा 1.26 है0 मे सायल व गैरसायलान न0 1 व 2, खाता न0 157 मे कुल किता 2 कुल रकवा 0.10 है0 मे सायल व गैरसायलान न0 1 व 2 तथा मुताबिक जमाबन्दी अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। सायल व गैरसायलान सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। न्यायालय हाजा मे जैरकार प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 49/2021 उनवानः– जगपाल बनाम दशरथ मे इस पत्रावली के सायल को रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जा चुका है। इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायल द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के न्यायोचित निर्णय के लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम खिलचीपुंर की आराजी ख0न0 29/0.25, 32/0.27, 361/0.58, 64/0.57 कुल किता 4 कुल रकवा 1.67 है0 तथा ग्राम नांगलशेरपुर की आराजी ख0न0 1861/0.42, 1692/0.40, 1704/0.10, 1706/0.25, 1707/0.04, 1755/0.28, 1992/0.05, 1991/0.09, 416/0.05 है0 मे गैरसयलान ता दावा फैसला रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:03:00 IST
Reason: SelfAttested